कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 710/524 आउशि/नि.का/09 भोपाल, दिनांक 10/7/09

प्रति,

कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः–शोध कार्यों में सुधार।

–:0:–

प्रायः यह देखा गया है कि विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में एम.फिल एवं पी.एच.डी. के शोधार्थी प्रतिवर्ष अपना पंजीकरण करवाते हैं और अधिकांश सफलतापूर्वक शोध कार्य पूर्ण कर उपाधि प्राप्त करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा कैरियर एडवांसमेंट स्कीम लागू किये जाने के बाद उच्च शिक्षा जगत के प्राध्यापकों के द्वारा बड़ी संख्या में शोध कार्य पूर्ण कर पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की है जो निश्चय ही प्रदेश के लिए एक गौरव का विषय है।

महाविद्यालयीन शिक्षा में गत वर्ष शासन के द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं तथा वार्षिक परीक्षा पद्धति के स्थान पर सेमेस्टर पद्धति लागू की है जिसमें 02 आंतरिक मूल्यांकन तथा एक प्रोजेक्ट वर्क के प्रावधान से प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों के बीच संपर्क में वृद्धि हुई है तथा यह व्यवस्था विद्यार्थियों के ज्ञान का स्तर बढ़ाने तथा उन्हें नियमित रूप से अध्ययन करने के लिए सहायता प्रदाय करती है।

इसी कड़ी में यह आवश्यक है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में जारी शोध के विषयों का गहन परीक्षण किया जाए एवं इस संबंध में नवीन नीति निर्धारित की जाए।

इस संबंध में कुछ सुझाव निम्नानुसार हैः–

(1) विद्यार्थियों को शोध का विषय आवंटित करने के साथ ही उस विषय पर उपलब्ध पुस्तकों की सूची प्रदाय कर दी जाए तथा उन समस्त पुस्तकों के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी के द्वारा तैयार की गयी संक्षेपिका का प्रस्तुतीकरण आर.डी.सी. के समक्ष किया जाए।

आर.डी.सी. की यह बैठकें विश्वविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों के लिए खुली रखी जाएं ताकि शोधार्थी समस्त प्राध्यापकों के समक्ष संक्षेपिका प्रस्तुत कर उनके प्रश्नों के उत्तर संतोषप्रद रूप से प्रदान करने के पश्चात ही शोध के लिए पंजीकृत हो सकें।

(2) शोध का विषय आवंटित करते समय यह आवश्यक ध्यान में रखा जाए कि शोध के पूर्ण होने पर संबंधित पी.एच.डी./एम.फिल के निष्कर्षों से समाज को सहायता मिल सके। विशेषतः विज्ञान तथा समाज विज्ञान के शोध प्रबंधों में शोध के माध्यम से नई तकनीक अथवा समाज उपयोगी तकनीक के विकास का लक्ष्य रखा जाए तथा इस प्रकार प्राप्त की गयी तकनीक का पैटेंट विश्वविद्यालय एवं शोध विद्यार्थी के संयुक्त

स्वामित्व से कराया जाए जिससे समाज के लाभ के साथ–साथ विश्वविद्यालय एवं शोध करने वाले विद्यार्थी को भी लाभ प्राप्त हो सके।

(3) शोधार्थी द्वारा शोधावधि के दौरान 4 शोध प्रकाशित किए जाने चाहिए ।

(4) प्रस्तावित शोध पैनल में विशेषज्ञों का बायोडाटा संलग्न होना आवश्यक होना चाहिए ताकि विशेषज्ञ का चयन सुलभ हो जाय ।

(5) चयनित शोध प्रबन्ध मूल्याकनकर्ता को प्रारंभ में शोध प्रबन्ध सारांश भेजा जाना चाहिए । जिसके आधार पर वह शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन हेतु सहमति/असहमति व्यक्त कर सकेगा ।

(6) भाषा विज्ञान में शोध का विषय निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा जाए कि न केवल शोध के माध्यम से भाषा की बिखरी हुई विरासत को संजोने का लक्ष्य पूर्ण हो अपितु एक भाषा में लिखे गये साहित्य एवं उसकी उपयोगिता को दूसरी भाष में भी प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़े जिससे सभी भाषाओं के ज्ञान का लाभ समाज को प्राप्त हो सके।

(7) यह भी प्रस्तावित है कि शोध विषय प्रदाय करते समय एक या एक से अधिक विषयों को मिलाकर शोध प्रबंध की रूप–रेखा तैयार की जा सके जिससे एक विषय के ज्ञान का लाभ दूसरे विषय में कर समाज उपयोगी तकनीक विकसित की जा सके।

भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में अंतर विभागीय शोध से समाज के लिए उपयोगी तकनीकों का विकास संभव हुआ है तथा इन तकनीकों के माध्यम से जनमानस का जीवन आसान बनाने में सफलता प्राप्त हुई है।

इन सब कार्यों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि शोध हेतु विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाएं एवं ग्रंथालय आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हों जिनके माध्यम से शोध विद्यार्थी विषय की नवीनतम जानकारी का उपयोग कर सकें।

अतः आपसे यह अनुरोध है कि महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों को बुलाकर इन बिन्दुओं पर विचार कर उनका अभिमत प्राप्त किये जाएं तथा शोध कार्य हेतु प्रयोगशालाएं एवं ग्रंथालयों के उन्नयन के प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एवं अन्य फन्डिंग एजेन्सीज को भेजे जाए।

शोध में क्षमता को विकसित करने के लिए एक अन्य प्रयास क्षेत्रीय उद्योग एवं महाविद्यालयों के बीच MOU के माध्यम से किये जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र की उद्योगिक इकाईयां महाविद्यालयों में शोध के लिए प्रयोगशालाएं एवं ग्रंथालय विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता देती हैं तथा शोध से प्राप्त तकनीक का उपयोग संबंधित निजी इकाईयों को प्रदाय किया जाता है।

यह पत्र केवल सुझाव मात्र के लिए है प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने स्तर से शोध हेतु 01 अथवा अधिकतम 02 विषयों में Core Comptence विकसित करें जिससे विश्वविद्यालयों के द्वारा किये जाने वाले शोध के पश्चात राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर हो सके।

कृपया इन सुझावों पर समस्त प्राध्यापकों की संगोष्ठी आयोजित कर संगोष्ठी में प्राप्त सुझावों को इस कार्यालय तक दिनांक 10.08.09 तक पहुंचाने का कष्ट करें

Prakash

जिससे इस विषय में और अधिक चर्चा कर प्रदेश के महाविद्यालयों के लिए शोध हेतु एक नीति तैयार की जा सके।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा विभाग,

पृ. कमांक 711/574/आउशि/नि.का/09 भोपाल, दिनांक 10/7/09

प्रतिलिपिः–

1– कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।

2– निज सहायक, मा0 मंत्री, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

3– निज सहायक, मा0 प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन।

4– निज सहायक, मा0 प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन।

5– निज सहायक, मा0 प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन।

आयुक्त
उच्च शिक्षा विभाग,